

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

05 मार्च, 2010

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 05 मार्च, 2010

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)19
उपाध्यक्ष का चुनाव	(1)28
अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं— (i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची (ii) सदस्य द्वारा त्यागपत्र (ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(1)29
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पे ा करना	(1)29
सदन की मेज पर रखे गये / पुनः रख गये कागज पत्र	(1)32
स्थगन प्रस्ताव का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन	(1)33

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 05 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 2.45 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr Speaker: Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly today i.e. the 5th March, 2010 at 2.00 P.M. under Article 176(1) of the Constitution of India.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभासदों,

हरियाणा विधानसभा के वर्ष 2010 के प्रथम सत्र में उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सबको हार्दिक भुभकामनाएं देता हूं।

भारत पिछले कुछ वर्षों से समावे की विकास के बड़े बदलाव का साक्षी रहा है। संयुक्त प्रगति की ल गठबंधन की अध्यक्षता

श्रीमती सोनिया गांधी ने आम आदमी को विकास में भागीदार बनाने का नया रास्ता दिखाया है।

आर्थिक मंदी ने वर्ष 2007 में वि व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया था। भारत इससे धीरे धीरे उबर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और डॉ० मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार के सम-सामयिक उपायों के फलस्वरूप चालू वित्त वर्ष में हम सात प्रतिशत से अधिक विकास दर की उम्मीद कर रहे हैं। आर्थिक प्रोत्साहन पैज, जिसमें आबकारी भुल्कों में कमी और बढ़ा हुआ खर्च शामिल है, के अच्छे परिणाम आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि संकट का सबसे बुरा समय समाप्त हो गया है।

हरियाणा में भी चालू वित्त वर्ष में इस संकट के प्रतिकूल प्रभाव में आंशिक बदलाव आया जोकि वर्ष 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की सम्भावना है, जोकि वर्ष 2008-09 की वृद्धि दरों से 0.2 प्रतिशत अंक अधिक है। अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक पिछले साल की इसी अवधि में राजस्व प्राप्तियों में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य प्रतिलाभ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, यद्यपि पिछले वर्षों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि जैसी स्थिति को हासिल करने में अभी कुछ समय लगेगा। मेरी सरकार पूर्व स्थिति में आने के लिए नए उत्साह और साहस से उपाय जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्प है।

मेरी सरकार ने दूरदर्शी और जन-हितैशी नीतियों के माध्यम से पिछले कार्यकाल के दौरान तीव्र और समग्र विकास के अपने वायदे को पूरा करने के उद्देश्य से उपलब्धियां हासिल करने के लिए अथक प्रयास किये हैं। पिछले वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों पर सरकार को गर्व है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राज्य का विकास लोकतांत्रिक संस्थानों के तंत्र के माध्यम से सुनियोजित ढंग से हुआ है। सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत विकास के भागीदारों, मुख्य रूप से हरियाणा के लोगों में विवास पैदा करने का रहा है। समावेशी विकास हमारी घोषित नीति है। इसकी प्राप्ति के लिए मेरी सरकार ऐसी नीतियों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों में सृजनात्मकता और उद्यमशीलता के द्वार खोलें, हर नागरिक की जरूरतों को पूरा करें, उनके बेहतर जीवनयापन, शिक्षा, अवसरों की समानता के अधिकार की रक्षा करें और भांगति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करें।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां

मैंने नवगठित हरियाणा विधानसभा के अक्टूबर, 2009 के प्रथम सत्र में अपने अभिभाषण में भी उल्लेख किया था कि कृषि और कृषक समुदाय मेरी सरकार के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं।

प्रतिकूल मौसम की स्थिति और सामान्य से कम वर्षा होने के बावजूद राज्य में खरीफ 2009 में 46.53 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन हुआ, जबकि खरीफ 2008 में 44.88

लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। राज्य सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की और नहरी पानी और दूसरे कृषि आदान समय पर उपलब्ध करवाए। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि खरीफ 2009 में भरपूर फसल हुई। 13.90 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य की तुलना में राज्य केन्द्रीय भण्डार में 18.60 लाख मीट्रिक टन चावल देगा, जोकि 34 प्रतिशत अधिक है। मेरी सरकार ने रबी 2009 में केन्द्रीय भण्डार के लिए 69 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की, जोकि राज्य के लिए अब तक का एक रिकॉर्ड है।

राज्य में सितम्बर, 2009 के दौरान रूक-रूककर अच्छी बारिश हुई, जो रबी फसलों की बिजाई के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। राज्य सरकार ने गेहूं की गिरती उत्पादकता के रूझान को बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके फलस्वरूप वर्ष 2008-09 में गेहूं की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 46.14 क्विण्टल के स्तर तक पहुंच गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यह उत्पादकता देश भर में सर्वाधिक है और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रशंसा हुई है।

हरियाणा के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत उपलब्ध सहायता से लाभ हुआ है। केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करके इन क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दर चार प्रतिशत करना है।

गुणवत्तापरक आदानों का अधिक प्रयोग उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी प्राप्त करने की कुंजी है। राज्य सरकार खाद्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को बेचे जाने वाले प्रमाणित बीजों पर सबसिडी दे रही है।

राज्य में सरकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भण्डारण की कुछ क्षमता 65.87 लाख मीट्रिक टन थी। वर्ष 2009-10 में राज्य की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 6.80 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों और चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 1.57 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंध लिमिटेड की अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में प्रसंस्करण, संचालन और भण्डारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने की योजना है ताकि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के नवीनतम मानदण्डों को पूरा किया जा सके।

माननीय सभासदो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मांग की तुलना में चीनी की वैि वक आपूर्ति कम होने की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके भाव बढ़े हैं। विगत वर्षों में वि व के प्रमुख चीली उत्पादक और निर्यातक दे ां, जिनमें भारत भी भाामिल है, में गन्ने की का त के अधीन क्षेत्र कम हुआ है, क्योंकि किसान अधिक लाभकारी और श्रम की कम जरूरत पड़ने वाली फसलों की का त करने लगे हैं। गन्ना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदे ा सरकार ने चालू पिराई मौसम

के लिए अगेती किस्मों के लिए 185 रुपये प्रति क्विण्टल, मध्यम किस्मों के लिए 180 रुपये प्रति क्विण्टल और पछेती किस्मों के लिए 175 रुपये प्रति क्विण्टल भाव दिया है। दे 1 का यह सर्वाधिक राज्य समर्थन मूल्य था। राज्य की चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों को 25 रुपये प्रति क्विण्टल बोनस भी दे रही है। मेरी सरकार ने पिराई मौसम के लाभ को सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों के साथ बांटने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने गन्ने के अधीन क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। राज्य में गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार का गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

किसानों को संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां अपनाने, फसलों का विविधीकरण करने और फलों, सब्जियों, फूलों, औषधीय और सुगन्धित पौधों की कांठ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ी है। भारत सरकार ने कटाई उपरान्त प्रबन्धन और विपणन परियोजनाएं शुरू करने के लिए चालू वर्ष में 170 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। सरकार ने बागवानी को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए बागवान किसानों से उसी दर पर बिजली भुल्क लेने का निर्णय लिया है, जिस दर से भुल्क कृषि क्षेत्र से लिया जाता है।

हरियाणा का प्रति इकाई मत्स्य उत्पादन में देश भर में दूसरा स्थान है। मत्स्यपालक किसानों की आय बढ़ाने और शिक्षित युवकों को मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए परम्परागत मत्स्य पालन का विविधीकरण करके उसे उच्च मूल्य की मत्स्य प्रजातियों और सजावटी मत्स्यपालन की ओर ले जाने का प्रस्ताव है।

राज्य को ख्यातिप्राप्त हरियाणा नस्ल की गायों और मुराह नस्ल की भैंसों का घर होने का गौरव प्राप्त है। पशुपालकों को उनके घरद्वार के नजदीक ही दक्ष पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पशु चिकित्सा संस्थानों के तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने हिसार में एक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल पशु चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। यद्यपि, प्रतिपशु अधिकतम उत्पादकता तक पहुंचने के लिए अभी भी दुग्ध उत्पादन क्षमता का पूर्ण दोहन किया जाना बाकी है। आगामी पांच वर्षों में कृत्रिम गर्भाधान की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करके नस्ल सुधार का एक व्यवस्थित कार्यक्रम चलाने की योजना है।

सहकारिता

मेरी सरकार सहकारी संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने का एक माध्यम मानती है। सहकारिता क्षेत्र की सामान्य कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दीर्घावधि ऋणों के लिए 'समय पर अदायगी प्रोत्साहन स्कीम' शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत कृषि और गैर कृषि कर्जदारों को मिलने वाला ब्याज अनुदान तीन प्रति शत से बढ़ाकर पांच प्रति शत कर दिया गया है। समय पर फसली ऋणों की अदायगी पर दो प्रति शत ब्याज अनुदान देने की स्कीम पहले से ही चल रही है। यह ब्याज अनुदान भारत सरकार की स्कीम के अन्तर्गत मिल रहे लाभों के अतिरिक्त है। ऋण की समय पर अदायगी करने पर किसानों के लिए फसली ऋणों की प्रभावी ब्याज दर अब चार प्रति शत होगी।

मेरी सरकार ने हरियाणा राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 में संशोधन करके एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि चूक की स्थिति में ऋण लेने वाले किसान की जमीन नीलाम न हो। ऋण की वसूली, गिरवी रखी गई जमीन को पट्टे पर देकर की जाएगी और पट्टा राशि का एक निर्दिष्ट भाग ऋण की वसूली में समायोजित किया जाएगा और भोश राशि कर्जदार की उपभोक्ता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध होगी।

मेरी सरकार ने भूमि के मूल्य का पुनः आकलन करके कर्जदार किसानों द्वारा पहले से ही गिरवी रखी गई भूमि के फालतू भाग को छोड़ने का एक और प्रगति मिल कदम उठाया है। इस स्कीम के तहत 4,463 किसानों की लगभग 6,000 एकड़ गिरवी रखी गई फालतू भूमि छोड़ दी गई है।

सदन में मेरे पिछले अभिभाषण में की गई वचनबद्धता का सम्मान करते हुए ग्रामीण दस्तकारों और छोटे दुकानदारों की अधिकतम ऋण सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई है।

सिंचाई

मेरी सरकार सतलुज-यमुना लिंक नहर के माध्यम से नदियों के पानी का हरियाणा का न्यायोचित हिस्सा लेने की अपनी वचनबद्धता को दोहराती है। भाखड़ा मेन लाइन-हांसी ब्रांच-बुटाना बहुउद्देश्यीय लिंक नहर, जोकि पानी के समान बंटवारे के लिए बनाई गई है, का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसे चालू करने के लिए कानूनी मुद्दों को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कौटल्या डैम, भाहबाद-दादूपुर नलवी नहर के द्वितीय चरण और एन0सी0आर0 चैनल का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। भिण्डावास झील, ओटू जलाशय और मसानी बैराज की क्षमता और बढ़ाई जा रही है।

सरकार राज्य भर में नहरी पानी के इष्टतम उपयोग को उच्च प्राथमिकता देती है। नहरी तंत्र का नवीनीकरण व इसकी व्यापक विराम मरम्मत का काम चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। जल संरक्षण और अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से पुराने रजबाहों और डिस्ट्रीब्यूटरियों को दोबारा पक्का किया जाएगा। 500 से भी अधिक जलमार्गों को दोबारा पक्का करने और उनके पुनः निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा और इतनी ही संख्या में नए पक्के जलमार्ग प्रणाली में जोड़े जाएंगे। जल भाराव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू नहर के तटों पर नलकूप लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। बाढ़ के पानी की निकासी के लिए हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित लगभग 100 स्कीमों में क्रियान्वित की जा रही है।

मेरी सरकार अम्बाला सिंचाई स्कीम, जोकि अम्बाला और नारायणगढ़ क्षेत्रों के भूजल सम्भरण और सिंचाई सुविधाओं के लिए तैयार की गई है, के क्रियान्वयन के मुद्दे को केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष मुस्तैदी से उठाएगी। मेवात नहर परियोजना को साकार करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

बिजली

माननीय सभासदों, मेरी सरकार बिजली क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरियाणा में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार राज्य के लोगों को प्रतिदिन औसतन 907 लाख

यूनिट बिजली की आपूर्ति कर रही है। सरकार ने उत्पादन क्षमता में 5000 मैगावाट की अतिरिक्त वृद्धि करने और 2011-12 तक राज्य में बिजली की उपलब्धता दोगुणी करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारी निवेश किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार द्वारा भुरू की गई सभी बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जिला हिसार के खेदड़ गांव में स्थापित हो रही 1200 मैगावाट की राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना हिसार के खेदड़ गांव में स्थापित हो रही 1200 मैगावाट की राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना की 600 मैगावाट की पहली इकाई को 35 महीनों के रिकॉर्ड समय में दिसम्बर, 2009 में सिंक्रोनाइज किया गया। इस परियोजना की दूसरी इकाई अप्रैल, 2010 में भुरू होने की उम्मीद है। इस संयंत्र से मिलने वाली बिजली से इसी वर्ष आगामी गर्मियों और धान की फसल के लिये राज्य को समुचित राहत मिलेगी।

हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के संयुक्त उद्यम के रूप में झज्जर में स्थापित हो रहे 1500 मैगावाट क्षमता के इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण के उन्नत स्तर पर है। इस परियोजना की 500 मैगावाट की पहली इकाई जुलाई, 2010 में सिंक्रोनाइज होने की उम्मीद है। परियोजना की 500 मैगावाट की दूसरी इकाई दिसम्बर, 2010 में और 500 मैगावाट की तीसरी इकाई फरवरी, 2011 में तैयार हो जाएगी। झज्जर के महात्मा गांधी

सुपर थर्मल पावर प्रोजैक्ट की 660 मैगावाट की पहली इकाई दिसम्बर, 2011 में चालू हो जाएगी और 660 मैगावाट की एक और इकाई मई, 2012 में चालू हो जाएगी।

अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त, हरियाणा ने आगामी चार-पांच वर्षों में 5691 मैगावाट बिजली की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से बिजली खरीद समझौते किए हैं। इसमें 1724 मैगावाट बिजली शामिल है, जो हरियाणा से बाहर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं से भारत सरकार की केस-1 पॉलिसी के अन्तर्गत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रणाली के माध्यम से तय की गई है। यह बिजली हरियाणा तक पहुंचने के लिए समुचित सम्प्रेषण नेटवर्क का प्रावधान किया जा रहा है।

मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केन्द्र सरकार ने जिला फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए स्थान की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रथम चरण में 1400 मैगावाट की परियोजना स्थापित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया ने पूर्व-परियोजना गतिविधियों शुरू कर दी है और इस परियोजना का क्रियान्वयन 11वीं योजना में ही शुरू हो जाएगा।

11वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली के लिये 25,524 करोड़ रुपये का परिव्यय अब तक का सर्वाधिक है। वर्ष 2009-10 में उत्पादन, सम्प्रेषण और वितरण तंत्र के सुधार पर कुल 5,268 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च होने की सम्भावना है। गत पांच वर्षों में 179 नए सब स्टे इन स्थापित किए गए हैं, वर्तमान 355 सब स्टे इनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 2,372 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को गुणवत्तापरक बिजली देने के लिए ग्रामीण, घोरलू और कृषि लोड को अलग अलग करने सम्बन्धित कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इससे गांवों में बिजली की मात्रा और गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 240 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को 2,36,913 कनेक्ट इन देने का प्रस्ताव है। इनमें से जनवरी, 2010 तक 91,347 बीपीएल परिवारों को कनेक्ट इन दिए जा चुके हैं। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यू इन सिस्टम नए सब स्टे इन बनाकर और वितरण लाइनें बिछाकर वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने जैसी विभिन्न दूसरी स्कीमें भुरु की गई है। ये सभी उपाय राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होंगे।

मेरी सरकार अक्षय ऊर्जा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और 15 स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ 212 मैगावाट

की 30 अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए समझौते किए हैं। इनमें लगभग 1,270 करोड़ रुपये का निवेश होगा। सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणालियों, सौर ऊर्जा से गलियों में रोशनी और सोलर लैम्प को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा ने व्यक्तियों और संस्थानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणालियों को प्रोत्साहित करने में पहल की है। राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों में को-जेनरेटिव प्लांट स्थापित करके 44.6 मैगावाट बिजली का उत्पादन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। रोहतक और भाहबाद की को-जेनरेटिव परियोजनाओं को पूर्व परीक्षण के लिए चलाया जा चुका है।

ग्रामीण विकास

सरकार समावेशी विकास एजेंडा के एक भाग के रूप में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सतत विकास पर आधारित कई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की दक्षता और क्षेत्र की सम्भाव्यता पर आधारित लघु उद्यमों की स्थापना करना है। जनवरी, 2010 तक 11,851 लाभार्थियों की

सहायता के लिए लगभग 1840.48 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा जल संरक्षण जल संचयन, सूखा परिरक्षण, वनीकरण, पौधा रोपण, अनुसूचित जातियों, लघु एवं सीमान्त किसानों और अन्य ग्रामीण गरीब लोगों के स्वामित्व वाली भूमि की सिंचाई सुविधाओं, परम्परागत जलाशयों के पुनरोद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्यों और ग्रामीण संयोजिता जैसे विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2009-10 में, जनवरी 2010 तक रोजगार के लगभग 40 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जिला अम्बाला को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पात्र अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों (वर्ग-ए) तथा बीपीएल परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट मुफ्त आवंटित किये जा रहे हैं। अब तक 2.91 लाख पात्र परिवारों को ऐसे प्लॉट आवंटित किये जा चुके हैं एवं भोश पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत आन्तरिक सड़कों के विकास का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के साथ जोड़ा गया है।

इन्दिरा आवास योजना के तहत, बी०पी०एल० परिवारों द्वारा आवास इकाइयों के निर्माण के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत प्रति इकाई 35,000 रुपये का सहायतानुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 25,611 मकानों का निर्माण होने की सम्भावना है।

गांवों में स्वच्छता, पर्यावरण और स्वास्थ्य निर्धारकों में सुधार के लिए मेरी सरकार ने केन्द्र-प्रायोजित योजना 'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' को क्रियान्वित किया है। ग्राम प्रचायतों में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन पुरस्कार भुरू किया गया है। भाँचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने और खुले में भाँच जाने की आदत खत्म हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन की गुणवत्ता में निश्चय ही सुधार होगा।

शिक्षा

माननीय सभासदों, मेरी सरकार विद्यालय शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वाभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने और माध्यमिक शिक्षा की ओर परिगमन दर में सुधार के लिए राज्य-स्कीमों व सर्वशिक्षा अभियान के तहत कई कदम उठाए गये हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करना और पहुंच में सुधार लाना हमारी नीति के केन्द्र बिन्दु हैं। निःशुल्क और

अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के दायरे में रहते हुए मेरी सरकार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता देगी।

मेरी सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख जरूरतमंद विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अभूतपूर्व रूप से अग्रणी है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों (ए) और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के कक्षा एक से बारह तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 75 रुपये से 400 रुपये तक के मासिक वजीफे दिए जाते हैं। लिंगानुपात के अन्तर को कम करने और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत लड़कियों के लिए वजीफे की दर लड़कों से अधिक रखी गई है। मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति स्कीमों के अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं मुफ्त दी जा रही हैं। इन प्रोत्साहनों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं। कमजोर वर्गों की लड़कियों समेत विद्यार्थियों के प्रवेश में सराहनीय सुधार हुआ है। जन चेतना और लक्षित प्रोत्साहन की नीतियों से प्राथमिक स्तर पर सकल प्रवेश अनुपात 98.86 प्रतिशत हो गया है।

राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्कूल स्तर पर ढांचागत अन्तर को पाटने के अलावा सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के कार्यक्रम भूरो किए गये हैं। प्राथमिक स्तर पर 40 स्कूलों में कम्प्यूटर आधारित अध्ययन की

एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 1089 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू की गई है।

मेरी सरकार केन्द्र सरकार की भागीदारों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और सर्वशिक्षा अभियान की उपलब्धियों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इस संबंध में पूर्व परियोजना गतिविधियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। साक्षरता में सुधार के लिए एक अनूठी केन्द्रीय योजना 'साक्षर भारत' शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य के भौक्षणिक रूप से पिछड़े दस जिले कवर होंगे। स्कूलों में 'मिड डे मील' पकाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने का भी सरकार का प्रस्ताव है। इससे महिलाओं को आमदनी होगी और समुदाय की भागीदारी में सुधार होगा।

मेरी सरकार राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है। विभिन्न महाविद्यालयों और विविद्यालयों में सीटों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः विज्ञान, कम्प्यूटर, वाणिज्य और अर्थशास्त्र जैसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में हुई है। वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाकर तथा निजी क्षेत्र में नये संस्थान खोल कर उच्च शिक्षा की प्राप्ति में और सुधार किया जा रहा है। हरियाणा निजी विविद्यालय

अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दो निजी वि. वि. विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि महेन्द्रगढ़ में केन्द्रीय वि. वि. विद्यालय भारू हो चुका है। रोहतक में भारतीय प्रबन्धन संस्थान भी आरम्भ हो चुका है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गये उपायों में सैमेस्टर प्रणाली भारू करना भी शामिल है। इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रणाली में सभी विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है।

तकनीकी शिक्षा एवं दक्षता विकास

मेरी सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए दक्षता विकास सुविधाओं की स्थापना की जरूरत के प्रति पूरी तरह से सजग है। उद्योग की तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव-शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गये हैं। चीका, नरवाना, सांपला, लिताना और सांधी में बहुतकनीकी संस्थानों और मुरथल में सैण्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना करना आदि कुछ नई परियोजनाएं हैं, जो पाइप लाइन में हैं। दक्ष मानव-शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति 78 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 31 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम

से की जा रही है। इनमें 27,792 सीटें हैं। हरियाणा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से आई0टी0आई0 स्थापित करने के लिए पांच स्थानों व दक्षता विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए 85 स्थानों की पहचान की गई है। इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया गया है। उद्योग व संस्थानों के मध्य नियमित एवं सीधा तालमेल बैठाने और संस्थानों को कार्यगत वित्तीय और प्रबन्धकीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संस्थान प्रबन्धन समितियां गठित की गई है।

महिलाओं को स्वरोजगार के साथ साथ उद्योगों में रोजगार के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रि शिक्षण भी दिया जा रहा है। 78 प्रि शिक्षण संस्थानों में सहि शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है और 31 संस्थान केवल महिलाओं के लिए है। राज्य के सभी प्रि शिक्षण संस्थानों में 30 प्रति शत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन सभी राजकीय संस्थानों में महिला प्रि शिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

स्वास्थ्य सेवाएं मेरी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिक से लेकर तृतीयक स्तर तक सस्ती, समान और सहज सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। सरकार चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों को प्रोत्साहित

करने के अलावा स्वास्थ्य देखभाल के प्रतिरोधात्मक और प्रोत्साहक पहलुओं पर भी बल दे रही है।

चिकित्सकों की निरन्तर भर्ती प्रक्रिया, निःशुल्क दवाइयां, सर्जरी पैकेज, गरीबों को निःशुल्क उपचार जिला अस्पतालों का उन्नयन, भाहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, बड़े पैमाने पर नये उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, सप्ताह में 24 घण्टे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खुला रहना कुछ ऐसे कदम हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाये गये हैं। 14 नवम्बर, 2009 को भुरू की गई है 'हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा नंबर-102 में 319 एम्बुलेंस उपलब्ध है, जिनसे आपातकालीन चिकित्सा के समय गर्भवती महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस सेवा का 40,000 से अधिक व्यक्ति लाभ उठा चुके हैं, जिनमें से 53.4 गर्भवती महिलाएं हैं। इस सेवा का और भी विस्तार किया जाएगा। 18 वर्ष तक की आयु के 40 लाख से अधिक बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 26 जनवरी, 2010 को इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना भुरू की गई थी। इसके प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयों के 14 लाख बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस स्कीम के संबंध में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के बीच अनूठा तालमेल है। बी0पी0एल0 परिवारों के बच्चों में कैंसर, हृदय रोग और

विकलांगता के मामले में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 'इंदिरा बाल स्वास्थ्य कोश' स्थापित किया जा रहा है। नेत्रदान की सुविधा के लिए नेहरू दृष्टि योजना शुरू की गई है जो अपनी किस्म की पहली योजना है। नेत्रदान के लिए टोल फ्री टेलीफोन नंबर 102 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी जिला अस्पतालों में नेत्र संग्रहण केन्द्र स्थापित किए गये हैं।

मेरी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेवात और खानपुर कलां (सोनीपत) में दो नये चिकित्सा महाविद्यालयों, जोकि निर्माणधीन है, के अलावा स्वर्गीय कल्पना चावला की स्मृति में करनाल में एक और नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भी फरीदाबाद में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इन संस्थानों से चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को और अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य में तृतीयक स्तर की सेवाओं में विस्तार होगा। जिला झज्जर के गांव बाढ़सा में स्थापित किया जा रहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का द्वितीय चरण मेरी सरकार की प्रमुख उपलब्धि है। इसके साथ ही स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 150 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के तहत 19 लाख से भी अधिक लोग वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। वृद्धों, विकलांगों और निराश्रित व्यक्तियों की मासिक पेंशन की दरों में समुचित वृद्धि की गई है। इस उद्देश्य के लिए बजट में दो गुणा से भी अधिक वृद्धि करते हुए 2008-09 के 660 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और 10 साल या इससे अधिक समय से पेंशन ले रहे लाभपात्रों के लिए यह राशि 700 रुपये प्रतिमास की गई है। विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 350 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये की गई है।

मेरी सरकार ने दृष्टि, श्रवण एवं वाणी बाधित व मानसिक चुनौतियों से ग्रस्त बच्चों के लिए अत्याधुनिक विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राज्य संस्थानों की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये के बजट से जवाहर सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया है। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए गृह भी स्थापित किए जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास

मेरी सरकार का मानना है कि समाज में महिलाओं और बच्चों का विशेष स्थान है। एक बड़ा विस्तार करते हुए 17,444 आंगनवाड़ियों के मौजूदा तंत्र में 8255 नए आंगनवाड़ी केन्द्रों की बढ़ोतरी की जाएगी। इनमें से 1081 आंगनवाड़ीयां अल्पसंख्यक

बस्तियों में औश्र 873 अनुसूचित जातियों की बस्तियों में होगी। 6 माह से 6 साल के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं तथा किोरी लड़कियों को पूरक पोशाहार उपलब्ध करवाने के लिए 179.46 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सरकार द्वारा जो नई पहल की गई है उनमें आई0सी0डी0एस0 में पूरक पोशाहार की दरें 3 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये की गई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को अब सुबह नाता और दोपहर को गर्म भोजन के रूप में दो आहार दिए जाते हैं। गिरते लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए 2005-06 में चलाई गई 'लाडली योजना' को लोगों से भारी समर्थन मिल रहा है और इससे 85991 परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने इसे अगले पांच वर्षों के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। महिलाओं को केन्द्र बिन्दु में रखना और उन्हें राज्य के विकास में पूर्ण रूप से भागीदारी के अवसर प्रदान करना मेरी सरकार का विशेष प्रयास रहेगा। साक्षर महिला समर्थों को और सुदृढ़ किया जाएगा और गांवों में सामाजिक विकास की गति को तेज करने में इन्हें शामिल किया जाएगा। महिला चौपालों को महिलाओं की क्षमता निर्माण और उनकी गतिविधियों के लिए एक प्रभावी मंच बनाया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति संवेदनशील है। सरकार इनके सामाजिक-आर्थिक व भौक्षणिक उत्थान के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन वर्गों में शिक्षा के प्रोत्साहन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों की सहायता के लिए चलाई जा रही डॉ० अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना स्नातकोत्तर स्तर पर भी लागू की गई है। इस योजना के तहत 4000 रुपये से 12000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्तियां दी जा रही है। 'अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना' भुर्रु की गई है, जिसके तहत विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली अनुसूचित जातियों की छात्राओं को 5000 रुपये से 14000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्तियां दी जाती है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह भागुन योजना' के तहत भागुन की राशि 5100 रुपये से बढ़ाकर 11000 रुपये और 15000 रुपये से बढ़ाकर 31000 रुपये कर दी गई है।

श्रम

मेरी सरकार ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने, औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को

कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी में समय समय पर संशोधन किया है। इस समय एक अनुकूल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी 4214 रुपये और दैनिक मजदूरी 162 रुपये है। निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अन्तर्गत हरियाणा लेबरनेट सेंटर के नाम से एक समेकित कल्याण योजना हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना के तहत यह सेंटर पंजीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन की सेवाएं छोटे बच्चों के लिए क्रेच और छः वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए स्कूल सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से एक नकदी रहित योजना हरियाणा के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। लाभार्थी प्रतिवर्ष प्रति बीपीएल परिवार 30,000 रुपये की बीमित राशि की सीमा तक सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए पात्र हैं। चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने और डाटा मैनेजमेंट में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भारत सरकार ने सराहना की है। विभिन्न अधिनियमों के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है।

कर्मचारी कल्याण

मेरी सरकार अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने,

असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ते हुए या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनजीवन तथा सम्पत्ति के बचाव के लिए जान गवाने वाले पुलिस कार्मिकों के लिए स्पेशल एक्स-ग्रेडिग्राण्ट 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है।

भाहरी विकास

दिल्ली और राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले हरियाणा के भाहरों में संयोजिता के सुधार पर ध्यान दिया गया है। यह खुशी की बात है कि जनवरी 2010 में दिल्ली मैट्रो को परीक्षण के तौर पर गुड़गांव तक चलाया गया है। इसके अप्रैल-मई, 2010 तक चालू हो जाने की सम्भावना है। गुड़गांव में मानेसर, गुड़गांव से इन्दिरा गांधी अन्तर्राश्ट्रीय हवाई अड्डा बदरपुर से फरीदाबाद और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक नये मैट्रो लिंक की भी योजना बनाई जा रही है।

सरकार विकास प्रक्रिया में भाहरी गरीब लोगों को भागीदार बनाने की दिशा में पहल कर रही है। हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण, आग्राणा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कम लागत की आवास इकाइयां उपलब्ध करवा रहा है। इस समय 7352 आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध करवाने की नीति में हाल ही में संशोधन किया गया है। इसके बाद लाइसेंसपुदा आवासीय कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत प्लॉट

हरियाणा आवास बोर्ड को दिये जाएंगे ताकि बी०पी०एल० परिवारों के लिए कम लागत के फ्लैटों का निर्माण किया जा सके। आवास बोर्ड वित्तीय वर्ष 2010-11 में बरही, बावल, बहादुरगढ़, जींद, हांसी, हिसार, सिरसा और सोनीपत में एक नई आवास परियोजना शुरू कर रहा है।

भाहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे में सुदृढीकरण में तेजी लाते हुए मेरी सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से 925 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। मेरी सरकार नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत भाहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जातियों तथा विमुक्त जनजातियों के लिए आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण के लिए 50,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है।

पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

मेरी सरकार हरियाणा के सभी गांवों और कस्बों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सदैव कटिबद्ध रही है। वर्ष 2009-10 में पेयजल आपूर्ति में संवर्धन के लिए 950 गांवों की पहचान की गई है। इन्दिरा गांधी पेयजल परियोजना के तहत लगभग 10 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को नि: शुल्क निजी पेयजल कनेक्शन और 200 लिटर क्षमता की एच.डी.पी.ई. टंकी दी जा रही है। सामान्य श्रेणी के परिवारों को निजी पेयजल

कनैव इन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांवों में 500 रुपये और बाहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये की कनैव इन फीस माफ की गई है। सरकार ने 19 नवम्बर, 2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहरों में 1000 रुपये की भुरुआती सीवर कनैव इन फीस भी माफ कर दी है। मेवात क्षेत्र की आरे भी विशेष ध्यान दिया गया है जोकि पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है।

मेवात क्षेत्र में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 300.49 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से राजीव गांधी पेयजल संवर्धन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के ट्यूबवेल सैगमेंट के माध्यम से 200 गांवों को लाभ हुआ है और अन्य 148 गांवों को रेनीवैल सैगमेंट के भाग-2 के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। इस परियोजना का बकाया कार्य भीघ्नता से पूरा किया जा रहा है।

पेयजल की अत्यधिक कमी से प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति के संवर्धन और वितरण प्रणाली के सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत भात-प्रतिगत जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाओं के लिए 15 बाहरों नामतः अम्बाला भाहर, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हांसी, जुलाना, कलायत, अरान्ध, कैथल, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, ऐलनाबाद, टोहाना और उचाना का चयन किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं को चरणबद्ध ढंग से एक गांव नलकूप योजना के साथ साथ एक गांव दो नलकूप योजना के प्रचालन और रखरखाव का कार्य सौंपने का प्रस्ताव है। इससे पंचायती राज संस्थाओं का न केवल स ावित्तकरण होगा अपितु इन सेवाओं का कु ाल संचालन भी सुनि षित होगा।

सड़कें एवं भवन

माननीय सभासदो, विकास के लिए सड़कों का इन्फ्रास्ट्रक्चर पहली जरूरत है। हरियाणा ने बहुत पहले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया था। परिवहन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए सरकार सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार और उन्नयन पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास के लिए सरकार सार्वजनिक- निजी भागीदारी को गढ़ावा दे रही है। गुड़गांव-फरीदाबाद सड़क और बल्लभगढ़-पाली-धौज-सोहना मार्ग के सुधार का कार्य बी.ओ.टी. आधार पर हाथ में लिया गया है। वर्ष 2009-10 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 710 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का सुधार किया गया। सड़क उपरिगामी पुलों के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। 298 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 13 आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य चल रहा है और चालू वित्त वर्ष में सात आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। 'राजीव गांधी सड़क एवं पुल संरचना विकास कार्यक्रम' का पहला चरण पूरा होने के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

को और बढ़ावा देने के लिए इसका दूसरा चरण भुरू किया गया है जिस पर 5000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सार्वजनिक भवनों के नवीनीकरण और सुधार पर विशेष बल दिया गया है। 596 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रोहतक-झज्जर और सोनीपत-जींद रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है।

परिवहन

दक्ष सार्वजनिक परिवहन राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पहली जरूरत है। यातायात आय, बेड़े की औसत आयु, वाहन और अमला उत्पादकता, परिचालन लागत, दूर्घटना दर और ईंधन दक्षता जैसे कई मानदण्डों पर हरियाणा राज्य परिवहन की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। मेरी सरकार राज्य में सार्वजनिक परिवहन में और सुधार करने तथा परिवहन परिचालन का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जनता को दक्ष यात्री परिवहन सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एक नई परिवहन नीति बनाई गई है। इसके तहत 1700 से अधिक नये स्टेज कैरिज परमिट्स का आवंटन करने का प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य न केवल परिवहन व्यवस्था में सुधार करना है बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाना भी है।

उद्योग एवं वाणिज्य

हरियाणा अधिमानित औद्योगिक निवे । गन्तव्य के रूप में अपना अग्रणी स्थान बनाए रखने में सफल रहा है। हरियाणा को भारतीय आर्थिक परिवीक्षण केन्द्र द्वारा 2007 में प्रति व्यक्ति औद्योगिक निवे । आकर्षित करने में अग्रणी माना गया है। वर्ष 2005 से राज्य में 43,500 करोड़ रुपये का निवे । हो चुका है। जबकि 1,01,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। राज्य को विदेशी प्रत्यक्ष निवे । के माध्यम से कुल 12,500 करोड़ रुपये का निवे । प्राप्त हुआ है, जिसमें से 9,277 करोड़ रुपये का निवे । पिछले पांच वर्षों में हुआ है।

मेरी सरकार विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास उपलब्ध करवाने और अपने लोगों को रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए दक्षता विकास सुविधाओं के विस्तार के प्रति सचेत है। इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार औद्योगिक विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत को समझती है। छः राज्यों में गुजरने वाले लगभग 1480 किलोमीटर लम्बे फ्रेट कोरिडोर के साथ साथ विकसित किए जा रहे दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन राज्य की तरक्की और विकास के अनेक अवसर प्रदान करेगा। मेरी सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र के अंदर मुख्य पहल के रूप में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की है। ये हैं—गुड़गांव—मानेसर—बावल के बीच मास

रैपिड ट्रांसपोर्ट्स इन सिस्टम, एग्जीविटिव-कम-कन्वेन्शन सेंटर और इण्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब।

औद्योगिक नीति 2005 उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। गति मिल आर्थिक एवं निवेश के परिवेश के दृष्टिगत सरकार ने औद्योगिक नीति में उपयुक्त परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। अप्रैल, 2010 के अन्त तक संशोधित औद्योगिक नीति को घोषित हो जाने की सम्भावना है। जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करके उद्यमियों को दक्षतापूर्ण तथा पारदर्शिता से परे श्रम-मुक्त अनुमोदन एवं क्लियरेंस प्रदान करने पर बल दिया जाएगा।

खान एवं भू-विज्ञान

हरियाणा में प्राकृतिक खनिज संसाधनों की कमी है। हरियाणा में खनन का कार्य मुख्यतः निर्माण सामग्री जिसमें लघु खनिज शामिल हैं तक सीमित है। मेरी सरकार ने खनन का एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

जिला फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में दस वर्षों की अवधि के लिए मुख्य खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए 30 वर्षीय खनन योजना बनाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि अल्प प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत तरीके से दोहन हो।

हिस्सेदारों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से राज्य लघु खनिज रियायत नियमों की पूर्ण समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार पूर्व में खनन उपरान्त छोड़े गये स्थलों के पुनर्वास और बहाली की योजना बनाने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं। मेरी सरकार द्वारा किये गये ठोस प्रयासों के फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फरीदाबाद जिले में 600 हैक्टेयर क्षेत्र में लघु खनिजों के खनन की अनुमति प्रदान कर दी है। मेरी सरकार एक दीर्घावधि खनन योजना बनाएगी, जिसमें सतत विकास के सिद्धान्तों का पालन करते हुए निर्माण सामग्री की बाजार की मांग की पूर्ति और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

मेरी सरकार पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के प्रति समुचित रूप से गंभीर है। वनीकरण पर विशेष बल दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान 22,665 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है एवं पौधे मुफ्त बांटे गये हैं।

सरकार पर्यावरण सुधार के लिए विभिन्न विनियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अधिसूचित विनिर्देशों पर खराब उतरने वाली प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐतिहासिक बाहर कुरुक्षेत्र और अन्य अधिसूचित धार्मिक स्थानों के साथ साथ वन्य

प्राणी विहार, राष्ट्रीय पार्को और राज्य के सार्वजनिक पार्को में प्लास्टिक की वस्तुओं पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। पाली, फरीदाबाद में खतरनाक कचरा भाोधन एवं निपटान सुविधा अति भीघ्र चालू हो जाने की सम्भावना है। स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की सहायता से जैव-चिकित्सा कचरे के निपटान हेतु एक राज्यव्यापी कार्य योजना तैयार की जा रही है।

पर्यटन

मेरी सरकार ने पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का उत्प्रेरक बनाने के लिए इसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है। पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर सर्किट विकास के अंतिम चरण में है। हाल ही में पिंजौर के भीमा देवी परिसर का उन्नयन किया गया है। इसे भारत सरकार ने श्रेष्ठ संरक्षित पर्यटक हितैशी स्मारक घोषित किया है। पिंजौर को धरोहर गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत वहां की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। डूण्डाहेड़ा और सूरजकुण्ड में दो मुख्य विाविर स्थल स्थापित किये जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के श्रीकृष्ण संग्रहालय में महाभारत दीर्घा निर्माणधीन है। हरियाणा को बैठकों, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन के लिए पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन ने सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका है और पांचवें हॉस्पिटैलिटी इंडिया एण्ड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड 2009 में धरोहर संरक्षण और अनुरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य माना है। राष्ट्रमण्डल खेलों के

दृष्टिगत राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 6,500 से अधिक कमरे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रही है।

खाद्य एवं आपूर्ति

मेरी सरकार आवक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के प्रति चिंतित है। मुद्रास्फीति आज घरेलू कारकों की बजाय वैश्विक कारकों की वजह से अधिक हुई है। फिर भी, सरकार ने राज्य में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने गेहूं, चावल, चीनी, दालों व खाद्य तेलों के लिए भण्डारण सीमा निर्धारित की है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए कई बार गेहूं जारी किया गया है। बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी गेहूं और दालों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हेरा-फेरी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का निर्णय किया है।

राजस्व

मेरी सरकार ने कृषि सुधारों की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए डोहलीदारों, भोण्डीदारों, मुकरंददारों और बुटीमारों को उनकी जमीन के मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिया है। इन विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को उनके द्वारा समाज को प्रदान की गई सेवाओं की एवज में भूमि

आवंटित की गई थी। ये व्यक्ति कई पीढ़ियों से इस जमीन की का त करते आ रहे थे, लेकिन वे वितीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए ऐसी भूमि को हस्तांतरित या गिरवी नहीं रख सकते थे। वि ेश श्रेणियों को स्वामित्व के अधिकार देने के इस क्रांतिकारी कदम से उनकी कठिनाइयां दूर होंगी।

भूमि मालिकों को स्वामित्व रिकॉर्ड की कम्प्यूटरीकृत प्रतिया दी जा रही हैं। भू-रिकॉर्ड का आधुनिकरण करने के व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय भू-रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वितीय सहायता लेने के लिए आठ जिलों नामतः गुड़गांव, पलवल, जींद, कुरुक्षेत्र, झज्जर, फरीदाबाद, मेवात और सिरसा के भू-रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उपयुक्त मानदण्डों को बढ़ावा देने और सम्पतियों का लेन-देन करने वालों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सम्पति व्यवहारी तथा परामर्शदाता अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है और उन्हें लागू किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गसन

जहां तक आईटी उद्योग के विकास का सम्बंध है लगभग सभी अग्रणी आई0टी0 कम्पनियों, जिनका हरियाणा में आधार है, की उपस्थिति के कारण राष्ट्रीय मानचित्र पर हरियाणा

की छवि उभरते आई0टी0 हब के रूप में पहले ही बन चुकी है। वर्ष 2008'09 में इनका निर्यात लगभग 21,000 करोड़ रुपये का हुआ।

मेरी सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों के मौजूदा तंत्र और निजी पहलों के माध्यम से आई0टी0 शिक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। अब विद्यालयों व महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से आई0टी0 शिक्षा सुविधाएं भुरू की जा रही है। ई- गसन के सफल क्रियान्वयन के उद्दे य से इसी तरह के कदम सरकारी कर्मचारियों की दक्षता उन्नयन के लिए उठाए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा लाभ भासन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग करने से हुआ है। हरियाणा दे ा का पहला राज्य है, जिसने वाणी, आंकड़े और दृ य सम्प्रेषण के लिए 102.62 करोड़ रुपये की अनुमोदित परियोजना लागत से अपना स्टेट वाइड एरिया नैटवर्क स्थापित किया है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित लगभग 800 सरकारी कार्यालयों इन सेवाओं का प्रयोग करने की स्थिति में हैं। अगले चरण में लगभग 500 और कार्यालयों में संयोजिता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से राज्य आंकड़ा केन्द्र की स्थापना का कार्य सौंपे जाने के अग्रिम चरण में है और यह अगले वित वर्ष के मध्य तक पूरा होने जाने की सम्भावना है। आधारभूत सेवाओं के अधिकतम उपयोग के लिए स्टेट सर्विस डिलीवरी

गेट-वे, ई-फार्म्स और स्टेट पोर्टल के नाम से एक नई परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

कई सरकारी विभागों द्वारा आई0टी0 के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाने लगी हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में ई-गवर्नंस पहलों के लिए हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटितों के लेखों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो वर्तमान में हाथ में ली गई हैं, उनमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना, परिवहन विभाग की चालक लाइसेंस और वाहन पंजीकरण परियोजना और वाणिज्यिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण की व्यापक परियोजना शामिल है। नेशनल ई-गवर्नंस प्लान के तहत प्रयोग के तौर पर भारत सरकार की सहायता से ई-डिस्ट्रिक्ट नामक एक मिनिमम मोड प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई है।

आबकारी एवं कराधान

मेरी सरकार व्यापार एवं उद्योग और उपभोक्ताओं की उभरती जरूरतों के अनुरूप कर ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय पुलिस बलों के कठिन दायित्व के दृष्टिगत केन्द्रीय पुलिस कैंटीनों के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं को कर से मुक्त कर दिया है। दिल्ली-गुड़गांव मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल

कारपोरे इन को बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर न लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाली अन्य राज्यों की मोटर-कैब्स को भी यात्री कर के भुगतान से मुक्त रखा गया है। गरीब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सस्ते पुरानी ऊन के कंबल बनाने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले फटे-पुराने कपड़ों पर कर की दर 12.5 प्रति शत से घटाकर 5 प्रति शत की गई है।

खेल

हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में नई बुलन्दियों को छू रहे हैं और राज्य को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। राज्य सरकार ने भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाले और राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिये हैं। होनहार खिलाड़ियों को खेल प्रतिभा को निखारने के लिए 45 खेल नर्सरियां चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 171 स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 96 स्टेडियम का कार्य पूरा किया जा चुका है और भोश का कार्य प्रगति पर है।

कानून एवं व्यवस्था

यह अति संतोश का विशय है कि राज्य में भांति का माहौल कायम रखा गया और यहां कानून का राज है। अल्पसंख्यक और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लाग भली प्रकार सुरक्षित है एवं साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रहा। पुलिस बल के आधुनिकीकरण

और इसे हाइटैक बनाने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। पुलिस के साथ नागरिकों और समुदाय का सहयोग सराहनीय रहा है।

माननीय सभासदो, मैंने पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त उल्लेख किया है। भौतिक आधारभूत ढांचे का विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता के रूप में उभरा है। अनेक परियोजनाएं हरियाणा के परिदृश्य को नये सिरे से परिभाषित कर रही हैं। परन्तु यह अपने आप में वास्तविक तरक्की नहीं है लोगों की आशाएं और सपने मनोभाव और भागीदारी भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार का दृष्टिकोण राज्य के प्रत्येक नागरिक के सरोकारों का ख्याल रखना है। सभी नीतियां इस महत्वपूर्ण प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी से बनाई गई है। सभी नीतिपरक पहलों से एक सामाजिक क्रांति का सुत्रपात हो रहा है और लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जो कि एक अति समतावादी और जागरूक समाज की स्थापना में मील पत्थर साबित होगा। मुझे विश्वास है कि आपकी परिचर्चा ज्ञानवर्धक और रचनात्मक होगी और आपकी सामूहिक बुद्धिमता से राज्य की विकास-प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी। मैं आपको हार्दिक भुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): स्पीकर सर, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे बीच में से बहुत सारी विभूतियां, जिनमें राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक शामिल हैं, वे हमें छोड़कर चले गये। वे जिस वे जिस रिक्ति को छोड़कर गये हैं उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सदन की ओर से यह भाव प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ—

श्री रामनिवास मिर्धा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा के 29 जनवरी, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

उनका जन्म 24 अगस्त, 1924 को हुआ। यह 1953 से 1967 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने सभा अध्यक्ष से लेकर कृषि, सिंचाई और परिवहन मंत्री के रूप में विभिन्न पदों को सुभित किया। वह 1967-80 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1977-80 के दौरान राज्य सभा के उपाध्यक्ष रहे। वह 1984 तथा 1991 में लोक सभा के लिए चुने गए। वह 1970-77 और 1983-87 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा 1987 से 1989 तक केन्द्रीय मंत्री रहे। उन्हें कपड़ा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, विदेशी मामले, रक्षा उत्पादन, संचार,

सिंचाई, आपूर्ति एवं पुनर्वास तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ।

वह कई भौक्षणिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े रहे। वह ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा महाराजा सूरजमल भौक्षणिक समिति के अध्यक्ष रहे।

उनके निधन से देश एक दूरदर्शी राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

यह सदन पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु के 17 जनवरी, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 8 जुलाई, 1914 को हुआ। वह बंगाल विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1972 से 1977 तक की अल्पावधि को छोड़कर 1952 से 2001 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1957 से 1967 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वह 1967 तथा 1969 में पश्चिम बंगाल के उप-मुख्यमंत्री बने। वह 1977-2000 के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे।

श्री ज्योति बसु ने भारतीय राजनीति के इतिहास में इतने लम्बे समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने सदैव गरीबों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भूमि सुधार लागू किये और राज्य में पंचायती राज प्रणाली को मजबूती प्रदान की। वह भारत में साम्यवादी आंदोलन अग्रणियों में से एक थे।

उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी, अनुभवी विधायक एवं उच्चकोटि के प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार तारा सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार तारा सिंह के 12 जनवरी, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 29 दिसम्बर, 1929 को हुआ। वह 1977 तथा 1982 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये। वह 1977-78 तथा 1979-82 के दौरान मंत्री रहे। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष चुने गये। वह 1991 में लोक सभा के लिए चुने गये। वह एक निश्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री नर सिंह ढांडा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार तारा सिंह के 13 फरवरी, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 जून, 1945 को हुआ। वह 1982 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1987-91 के दौरान मंत्री रहे। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मास्टर राम सिंह हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार तारा सिंह के 16 जनवरी, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 23 नवम्बर, 1935 को हुआ। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। उनकी खेलों में गहरी रुचि थी।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक-सतंप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. श्री हरफूल राम, गांव पहाड़ी, जिला भिवानी।
2. श्री क मीरा सिंह, गांव यारी, जिला कुरुक्षेत्र।
3. श्री मुरलीधर, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी।
4. श्री बनवारी लाल, गांव सांधी, जिला रोहतक।
5. लाला अमर नाथ, गांव भाहजादपुर माजरा, जिला अम्बाला।
6. श्री सुखदेव नागर, भाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र।

7. श्री प्यारे लाल, गांव रोहणा, जिला सोनीपत ।
8. श्री माल्हा सिंह, गांव भुरथला, जिला रेवाड़ी ।
9. श्री रतन सिंह, गांव माईकलां, जिला भिवानी ।
10. श्री भूरे सिंह, गांव ढाणी फोगाट, जिला भिवानी ।
11. श्री प्रेम राज, गाव झुल्ली, जिला भिवानी ।
12. श्री राधा सिंह, गांव जलूबी, जिला अम्बाला ।
13. श्री चरण दास, पानीपत ।
14. श्री ओम प्रकाश, गांव सुलौधा, जिला झज्जर ।
15. श्री छत्तर सिंह,, गांव दूबलधन, जिला झज्जर ।
16. श्री धर्म सिंह, गांव बरोदा, जिला सोनीपत ।
17. श्री बहादुर सिंह, गांव सूलीखेड़ा, जिला फतेहाबाद ।
18. श्री राम किशन, फरीदाबाद ।
19. श्री छोटे लाल, गांव बडेसरा, जिला भिवानी ।
20. श्री खुशीराम, गांव फदनी, जिला रेवाड़ी ।
21. श्री बहादुर सिंह, गांव पालड़ी, जिला भिवानी ।
22. श्री बनवारी लाल, गांव बरोणा, जिला सोनीपत ।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को भात-तनमन करता है और इनके भाोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन श्री बबरूभान यादव, महावीर चक्र विजेता, गांव भाड़ावास, जिला रिवाड़ी के निधान पर गहरा भाोक प्रकट करता है तथा भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के भाहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं:

1. डीआईजी ओम प्रकाश, गांव राठीवास, जिला मेवात।
2. कैप्टन दीपक भार्मा, रोहतक।
3. सूबेदार कैलाश चंद, गांव भोजावास, जिला महेन्द्रगढ़।
4. सूबेदार नारायण दत्त, जीन्द।

5. सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव ऐंचराकलां, जिला जींद ।
6. हवलदार धर्मबीर, गांव दरियावाला, जिला जीन्द ।
7. हवलदार जोगिन्द्र सिंह, गांव भूशण खुर्द, जिला महेन्द्रगढ़ ।
8. नायक परमजीत, गांव धवाना, जिला रेवाड़ी ।
9. नायक ललित कुमार, गांव कुराहड़ा, जिला रेवाड़ी ।
10. नायक योगे । कुमार, गांव कनीना, जिला महेन्द्रगढ़ ।
11. लांस नायक प्रधान सिंह, गांव गनौली, जिला अम्बाला ।
12. सिपाही राजे । कुमार, गांव झुल्ली, जिला भिवानी ।
13. सिपाही अ । तोक कुमार, गांव खरकड़ावास, जिला महेन्द्रगढ़ ।
14. सिपाही सुनील कुमार, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी ।
15. सिपाही बनारसी दास, गांव पिलखनी, जिला अम्बाला ।
16. सिपाही सुखबीर, गांव लोकरा, जिला गुड़गांव ।

17. सिपाही अनिल कुमार, गांव खेतियावास, जिला गुड़गांव।

यह सदन इन महान् वीरों की भाहादत पर उन्हें भात- तात नमन करता है और इनके भाोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

सांसद श्री भाादी लाल बतरा की भाभी श्रीमती सरला बतरा,

कृशि मंत्री श्री परमवीर सिंह की माता तथा पूर्व मंत्री श्री हरपाल सिंह की पत्नी श्रीमती सन्तोख कौर,

राज्य मंत्री श्री गोपाल कांडा की मामी श्रीमती मुन्नी देवी,

विधायक श्री आनन्द सिंह दांगी की भाभी श्रीमती रूकमणी देवी,

विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा के भाई श्री राम किान,

विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून के चाचा श्री हरिचंद जून,

विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री वेद पाल की पत्नी श्रीमती अजमेर कौर,

पूर्व मंत्री प्रोफ़ैसर गणेश लाल की माता श्रीमती भांति
देवी,

पूर्व मंत्री श्री अमर सिंह धानक की पत्नी श्रीमती लाडो
देवी,

पूर्व मंत्री श्री सुभाष बतरा के पिता श्री प्रकाश चन्द
बतरा,

पूर्व मंत्री श्री निर्मल सिंह की माता श्रीमती चिन्तो देवी,
पूर्व सांसद श्री आत्मा सिंह गिल के पुत्र श्री दलजीत
सिंह,

पूर्व विधायक श्री करण सिंह दलाल के भतीजे श्री
दीपे कुमार,

पूर्व विधायक श्री जय सिंह राणा के पुत्र श्री देवेन्द्र
राणा,

पूर्व विधायक श्री निरंजन सिंह के पिता श्री चरण सिंह
के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के
सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कृपालु जी महाराज आश्रम दुर्घटना

यह सदन 4 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में कृपालु जी महाराज आश्रम में हुई भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

श्री गौरी सहाय, स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन ढाणी खेम्बू वाली, जिला गुड़गांव के स्वतन्त्रता सेनानी, श्री गौरी सहाय के 4 मार्च, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाव-संतप्त के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

15.00 बजे

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कला): अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कुछ महान् विभूतियां इस संसार से चली गई हैं। इनमें केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के विधायक, मंत्री, स्पीकर, स्वतन्त्रता सेनानी, देश भक्त और इस सदन के सम्मानित सदस्यों के रिश्तेदार हमारे बीच में से विदा हो गए हैं। सर्वप्रथम श्री रामनिवास मिर्धा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के 29 जनवरी, 2010 को हुए दुःखद निधन पर मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से गहरा भाव प्रकट करता हूँ। वे एक अच्छे राजनेता, अच्छे

संगठनकर्ता और अच्छे वक्ता थे। हमारी उनके साथ नजदीकी रिश्तेदारी थी। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। जब कभी भी मुझे समय मिलता था तो मैं उनसे राय लेता था। वे अच्छा मन्त्रि वरा देने वाले व्यक्ति थे। अगर इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति राजनीति से चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी कमी को पूरा करने में कठिनाई आएगी।

उनके निधन से देश एक दूरदर्शी राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी की तरफ से पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री ज्योति बसु जी न सिर्फ इस बात के लिए विख्यात रहे कि वे बहुत लम्बे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बल्कि वे एक कुशल प्रशासक भी रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर ऐसी कार्य प्रणाली बनाई कि उनके आज इस दुनिया से जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल में लगातार उनकी पार्टी सत्ता में बनी हुई है। उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी, अनुभवी विधायक एवं उच्चकोटि के प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

सरदार तारा सिंह जी इस सदन के मैम्बर भी रहे, स्पीकर भी रहे, मंत्री भी रहे और उन्होंने पार्लियामेंट के मैम्बर के रूप में दे आ और प्रदे आ की जनता के हित में अच्छे निर्णय लिए थे। उनके निधन से दे आ एक अनुभवी सांसद एवं योग्य प्र आसक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री नर सिंह ढांडा हरियाणा के मंत्री थे, आज वे भी हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने अने राजनीतिक जीवन में न सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बल्कि प्रदे आ के लोगों के हितों के लिए अच्छे कार्य किए हैं और उनकी सेवा की है। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्र आसक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मास्टर राम सिंह हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपनी सदस्यता के दौरान प्रदे आ के और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवाएं की। उनके निधन से प्रदे आ एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी भी हमें एक-एक करके छोड़ कर जा रहे हैं। उनके जाने से हरियाणा प्रदेश का ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों में सदन के नेता द्वारा पुस्तिका में पढ़े गए नं० 1 पर श्री हरफूल राम, गांव पहाड़ी, जिला भिवानी से लेकर नं० 22 श्री बनवारी लाल, गांव बरोणा, जिला सोनीपत तक सभी को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी तरफ से भात-त नमन करता हूं और इनके भाक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके साथ अभी 4 मार्च को ही हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी श्री गौरी सहाय का भी दुःखद निधन हुआ है। मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं हरियाणा प्रदेश के उन भाहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। भाक प्रस्ताव की पुस्तिका में दर्ज नं० 1 पर डी०आई०जी० ओम प्रकाश, गांव राठीवास, जिला मेवात से लेकर नं० 17 तक सिपाही अनिल कुमार, गांव खेतियावास, जिला गुड़गांव तक सभी हरियाणा के भाहीदों की भाहादत पर मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं इस सदन के सदस्यों के रि तेदारों के दुखद निधन पर भी अपना भाोक प्रकट करता हूं। सांसद श्री भाादी लाल बतरा की भाभी श्रीमती सरला बतरा, कृशि मंत्री श्री परमवीर सिंह की माता तथा पूर्व मंत्री श्री हरपाल सिंह की पत्नी श्रीमती सन्तोख कौर, राज्य मंत्री श्री गोपाल कांडा की मामी श्रीमती मुन्नी देवी, विधायक श्री आनन्द सिंह दांगी की भाभी श्रीमती रूकमणी देवी, विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा के भाई श्री रामकिान, विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून के चाचा श्री हरिचंद जून, विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री वेदपाल की पत्नी श्रीमती अजमेर कौर, पूर्व मंत्री प्रोफ़ैसर गणेश लाल की माता श्रीमती भाांति देवी, पूर्व मंत्री अमर सिंह धानक की पत्नी श्रीमती लाडो देवी, पूर्व मंत्री श्री सुभाश बतरा के पिता श्री प्रकाश चन्द बतरा, पूर्व मंत्री श्री निर्मल सिंह की माता श्रीमती चिन्ता देवी, पूर्व सांसद श्री आत्मा सिंह गिल के पुत्र श्री दलजीत सिंह, पूर्व विधायक श्री करण सिंह दलाल के भतीजे श्री दीपेश कुमार, पूर्व विधायक श्री जय सिंह राणा के पुत्र श्री देवेन्द्र राणा, और पूर्व विधायक श्री निरान सिंह के पिता श्री चरण सिंह के दुखद निधन पर मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्व विधायक श्री रामफल कुंडू के पिता जी का भी निधन हो गया है इसलिए उनका नाम भी इन भाोक प्रस्तावों की लिस्ट में भाामिल किया जाए। मैं अपनी पार्टी तथा

अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अभी 4 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में कृपालु जी महाराज आश्रम में हुई भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद एवं असामयिक निधन पर मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी): स्पीकर साहब, पिछले सदन से लेकर अब तक जो महान विभूतियां जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दिया है और जो हमें छोड़कर चली गयी हैं, उनके लिए सदन के नेता ने कुछ भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इनमें श्री राम बिलास मिर्धा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सरदार तारा सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री नर सिंह ढांडा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, और मास्टर राम सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य हैं। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने हमें आजादी दिलायी और अपना बहुमूल्य योगदान दिया, के निधन पर भी अपना भाोक प्रकट करता हूँ। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं— श्री हरफूल राम, गांव पहाड़ी, जिला भिवानी, श्री क मीरा सिंह, गांव यारी, जिला कुरुक्षेत्र, श्री मुरलीधर, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी, श्री बनवारी लाल, गांव सांधी, जिला रोहतक,

लाला अमर नाथ, गांव भाहजादपुर माजरा, जिला अम्बाला, श्री सुखदेव नागर, भाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, श्री प्यारे लाल, गांव रोहणा, जिला सोनीपत, श्री माल्हा सिंह, गांव भुरथला, जिला रेवाड़ी, श्री रतन सिंह, गांव माईकलां, जिला भिवानी, श्री भूरे सिंह, गांव ढाणी फोगाट, जिला भिवानी, श्री प्रेम राज, गांव झुल्ली, जिला भिवानी, श्री राधा सिंह, गांव जलूबी, जिला अम्बाला, श्री चरण दास, पानीपत, श्री ओम प्रकाश, गांव सुलौधा, जिला झज्जर, श्री छत्तर सिंह,, गांव दूबलधन, जिला झज्जर, श्री धर्म सिंह, गांव बरोदा, जिला सोनीपत, श्री बहादुर सिंह, गांव सूलीखेड़ा, जिला फतेहाबाद, श्री राम किशन, फरीदाबाद, श्री छोटे लाल, गांव बडेसरा, जिला भिवानी, श्री खुशिराम, गांव फदनी, जिला रेवाड़ी, श्री बहादुर सिंह, गांव पालड़ी, जिला भिवानी, श्री बनवारी लाल, गांव बरोणा, जिला सोनीपत। इन सभी ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया है उसी के कारण हम तभी सोते हैं जब वे जागते हैं हम उन्हीं के कारण भय से जीते हैं। हमारे देश की एकता व अखंडता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है उन्होंने मातृ भूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं— डीआईजी ओम प्रकाश, गांव राठीवास, जिला मेवात, कैप्टन दीपक भार्मा, रोहतक, सूबेदार कैलाश चंद, गांव भोजावास, जिला महेन्द्रगढ़, सूबेदार नारायण दत्त, जीन्द, सूबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव ऐंचराकलां, जिला

जींद, हवलदार धर्मबीर, गांव दरियावाला, जिला जीन्द, हवलदार जोगिन्द्र सिंह, गांव भूशण खुर्द, जिला महेन्द्रगढ़, नायक परमजीत, गांव धवाना, जिला रेवाड़ी, नायक ललित कुमार, गांव कुराहड़ा, जिला रेवाड़ी, नायक योगे 1 कुमार, गांव कनीना, जिला महेन्द्रगढ़, लांस नायक प्रधान सिंह, गांव गनौली, जिला अम्बाला, सिपाही राजे 1 कुमार, गांव झुल्ली, जिला भिवानी, सिपाही अ गोक कुमार, गांव खरकड़ावास, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही सुनील कुमार, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी, सिपाही बनारसी दास, गांव पिलखनी, जिला अम्बाला, सिपाही सुखबीर, गांव लोकरा, जिला गुड़गांव, सिपाही अनिल कुमार, गांव खेतियावास, जिला गुड़गांव। मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके साथ ही दिनांक 4 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में कृपालु जी महाराज आश्रम में हुई भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद एवं असामयिक निधन पर मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary References made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other Members of the House. During the last Session and the present Session many renowned personalities have passed away. First of all, I feel aggrieved on the sad demise of Shri Ram Niwas Mirdha, Former Union Minister. He was a Member of the Rajasthan

Legislative Assembly for about 14 years and occupied the august Office of Speaker, Rajasthan Legislative Assembly and remained Minister in Rajasthan Government during this period. he remained Member of Rajya Sabha for 13 years and also occupied the august Office of Deputy Chairman of Rajya Sabha for about 3 years. He was elected to Lok Sabha twice and served as Union Minister of State and Union Minister holding very important portfolios in Government of India. He was an active social worker also. He was a veteran Statesman and an able administrator. I feel sorrow deeply on the sad demise of Shri Jyoti Basu, Former Chief Minister of West Bengal who remained a Member of West Bengal Legislative Assembly for about 45 years. He served the West Bengal State as Chief Minister for 23 years continuously. He occupied an esteemed position in National as well as State Politics. He was respected not only by his party men but by all others also. He was respected not only by his party men but by all others also. He was a great personlity and will be remembered for a long period. I greatly feel sorrow on the sad demise of Sardar Tara Singh, former Speaker, Haryana Legislative Assembly. He was elected to this House twice. Besides serving the State as Minister, he also occupied the august Office of Speaker of this House. He was also elected to Lok Sabha in 1991. He was a great social worker who worked untiringly for upliftment of the weaker sections of the society. He was a well experienced parliamentarian Former Minister of our State. He was elected twice to this House. He also served the State as Minister. He worked for the upliftment of the weaker sections of the society. I greatly feel sorrow on the sad demise of Master Ram Singh, Former Member of this House. He was an active social worker. Besides this, I also feel sorrow on the demise of

Freedom Fighters and martyrs of Haryana, the names of which have been mentioned by the Hon'ble Chief Minister. We cannot forget these freedom fighters and martyrs. With the sacrifice of these persons, we got freedom and our boundaries are well safe-gaurded. I feel sorrow on the sad demise of the persons, the names of which have been mentioned by the Hon'ble Chief Minister. I pray to Almighty to give peace to these departed souls. I will convey the fellings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

उपाध्यक्ष का चुनाव

Mr. Speaker: Under Rule 10(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I as a Speaker of the Haryana Legislative Assembly hereby fixed the 5th March, 2010 as the date for the election of the Deputy Speaker.

Now, I call upon the Hon'ble Chief Minister to propose the name for the election of the Deputy Speaker.

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Sir, I beg to move-

Shri Akram Khan, M.L.A. be elected as Deputy Speaker of the Haryana Legislative Assembly.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I second the name of Shri Akram Khan, M.L.A. be elected as Deputy Speaker of the Haryana Legislative Assembly.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Shri Akram Khan, a member of the Haryana Legislative Assembly, who is present in the House, be elected as Deputy Speaker of the Assembly.

Is there any other proposal please?

Voices: No.

Mr. Speaker: Since there is only one proposal before the House that Shri Akram Khan be elected as Deputy Speaker, I declare him duly elected as Deputy Speaker of the Assembly unanimously. (Thumping) I request him to take the seat of the Deputy Speaker.

(At this stage, Shri Akram Kham escorted by Chief Minister, Shri Randeep Singh Surjewal, P.W.D. (B&R) Minister and Shri Om Parkash Chautala, a Member of the Indian National Lok Dal, occupied the seat of the Deputy Speaker) (Thumping)

घोशणाएं—

अध्यक्ष द्वारा—

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the panel of Chairperson:-

1. Shri Sampat Singh, M.L.A.
2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A.
3. Shri Ram Pal Majra, M.L.A.
4. Shri Anil Vij, M.L.A.

(ii) सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

Mr. Speaker: Under Rule 58(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to inform the House that Shri Om Parkash Chautala who was declared elected as Member of the 12th Haryana Vidhan Sabha from two Assembly Constituencies namely, 37-Uchana Kalan and 46-Ellanabad, had resigned his seat in the Haryana Vidhan Sabha from 46-Ellanabad Assembly Constituency w.e.f. 4th November, 2009 which was accepted by me from the said date.

(iii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Now I have to inform the House that I have received a request from Smt. Geeta Bhukkal, Education Minister dated 4th March, 2010 expressing her inability to attend the Sitting of Haryana Vidhan Sabha on 5th March, 2010 as she has been deputed to

receive and see off H.E. the President of India on her visit to Gurgaon on 5th March, 2010.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पे ा करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I report the Time Table for the various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.30 A.M. on Friday the 5th March, 2010 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 10.00 A.M. and adjourn at 2.00 P.M. without question being put.

On Friday, the 5th March, 2010 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of business entered in the List of Business for the day.

The Committee further recommends that on Tuesday, the 16th March, 2010, the Assembly shall meet at 10.00 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 5th, 8th to 12th, 15th and 16th March, 2010 be transacted by the Sabha as under :-

The House will meet	1. Laying a copy of the
---------------------	-------------------------

<p>immediately Half an Hour after the conclusion of the Governor's Address on the 5th March, 2010</p>	<p>Governor's Address on Table of the House</p> <p>2. Obituary References</p> <p>3. Presentation and adoption of First Report of Business Advisory Committee.</p> <p>4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.</p>
<p>Saturday, the 6th March, 2010</p>	<p>Holiday.</p>
<p>Sunday, the 7th March, 2010</p>	<p>Holiday.</p>
<p>Monday, the 8th March, 2010 (2.00 A.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Discussion on Governor's Address</p>
<p>Tuesday, the 9th March, 2010 (10.00 A.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.</p> <p>3. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2009-2010 and Report of the Estimates Committee</p>

	thereon.
Wednesday, the 10 th March, 2010 (10.00 A.M.)	1. Question Hour. 2. Motion Under Rule 30. 3. Presentation of Budget Estimates for year 2010-2011.
Thursday, the 11 th March, 2010 (10.00 A.M.)	1. Question Hour. 2. General Discussion on Budget Estimates for the year 2010-2011.
Friday, the 12 th March, 2010 (10.00 A.M.)	1. Question Hour. 2. Motion Under Rule 121. 3. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2010-2011.
Saturday, the 13 th March, 2010	Holiday.
Sunday, the 14 th March, 2010	Holiday.
Monday, the 15 th March, 2010 (2.00 P.M.)	1. Question Hour. 2 Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2010-2011 and Finance Minister's reply and Voting on

	Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2010-2011.
Tuesday, the 16 th March, 2010 (10.00 A.M.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Motion Under Rule 15 regarding Non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die. 4. Papers to be laid, if any. 5. Presentation of Reports of the Assembly Committee. 6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2009-2010. 7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2010-2011. 8. Legislative Business. 9. Any other Business.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the

recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I begto move-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

श्री रामपाल माजरा (कलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम एक महीने सै इन चलना चाहिए। सरकार को सै इन खत्म करने की इतनी जल्दी क्या है। इसलिए आप इस बारे में देखें। (गोर एवं व्यवधान)। प्रदे 1 की जनता भी सोच रही थी कि एक महीने तक सै इन चलेगा और जन प्रतिनिधि उनकी समस्याएं यहां उठायेंगे। आज के दिन प्रदे 1 में न बिजली है, न पानी है और न सड़के हैं। (गोर एवं व्यवधान) प्रदे 1 के अंदर आज बहुत समस्याएं हैं।

Mr. Speaker: Please take your seat. (Interruptions)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, नैतिकता तो यह है कि सै इन का टाईम बढ़ाया जाये ताकि हम लोग आपके माध्यम से जन कल्याण के मुद्दे सदन में उठा सकें। (गोर एवं व्यवधान)

सभी मेंबरज यहां पर लोगों की भलाई की बातें कहना चाहते हैं इसलिए उनको अपनी बात कहने का प्रोपर टाईम मिलना चाहिए। हमसे लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बता दूंगा कि कितने दिन तक बजट सै गन आपकी सरकार के समय में चलता था और कितने दिन अब चलेगा। बजट पर चर्चा के लिए तीन दिन का समय रखा गया है। (गोर एवं व्यवधान) I request you please let me move further.

श्री अ गोक कुमार अरोड़ा (कुरुक्षेत्र): अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से बहुत से नये मेंबर चनुकर आये हैं और प्रत्येक मेंबर को अपने हल्के की समस्याओं को यहां सदन में रखना है। आप अपना नहीं तो पंजाब का ध्यान कर लें। पंजाब का सै गन 4 मार्च से भुरु होकर 26 मार्च को खत्म होगा और हमारा सै गन 5 मार्च से भुरु होकर 16 मार्च को खत्म होगा इसलिए हमारे सै गन का भी टाईम बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा साहब, पंजाब में कल गवर्नर एड्रैस हुआ था और आज भाोक प्रस्ताव हुआ है। पंजाब में तो एक या दसे घंटे ही एक सीटिंग होती है। आप पंजाब से मुकाबला न करें। मैं सभी मेंबरज को एक बात जरूर कहता हूं कि सभी को अपनी बात कहने के लिए मैकसीमम टाईम मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई एतराज हो तो आप कह देना। (विधन)

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to re-lay on the table of the House-

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 7/Const./Art.320/2009, dated the 18th March, 2009 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I beg to lay on the Table of the House-

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 20/Const./Art.320/2009, dated the 25th March, 2009 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Revenue and Disaster Management Department Notification No. S.O. 75/H.A. 31/2008/S. 18/2009 dated the 22nd August, 2009 regarding the Haryana Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 2009 as

required under section 18(2) of the Haryana Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2008.

The Notification No. 282/HR/2008, dated the 12th September, 2008, containing the Delimitation Commission Order No. 39, regarding the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Haryana, as required under section 10(3) of the Delimitation Act, 2002.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2005-2006, as required under section 39(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The 9th Annual Report of Dakshin Haryana BijliVitrان Nigam Limited for the year 2007-2008, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 35th Annual Report of Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 2008-09, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2009 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

स्थगन प्रस्ताव का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तन

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमने एक काम रोकने का प्रस्ताव जरूरी चीजों की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में

दिया हुआ है। वह बड़ा जरूरी है क्योंकि आज सारा देश महंगाई की मार से परेशान है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पर खुलकर चर्चा की जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा समुचित सदन से भी आग्रह करूंगा कि यूनानीमस रैजोल्युशन पास करके केन्द्र की सरकार को कहा जाये कि डीजल, पेट्रोल और खाद के बढ़े हुए दाम वापस लिये जाये अन्यथा महंगाई और बढ़ेगी। यह पूर्ण रूप से प्रमाणार्थ है कि आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। जरूरी यह है कि इससे अहम कोई मसला नहीं है इसलिए पहले इस पर चर्चा की जाये और फिर कोई आगे कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, मैंने आपका यह प्रस्ताव पढ़ा है। Please take your seat now. आपका यह प्रस्ताव आज 12.30 बजे मुझे मिला है और इसको मैंने काल अटेंशन मोड में एडमिट किया है। It will be taken up on 9th March, 2010. (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह अडजर्नमेंट मोड में है, काल अटेंशन मोड में नहीं है। (गौर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have admitted it. I have taken the decision. (Interruptions) चौटाला साहब आपको और क्या चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, इससे ज्यादा और कोई जरूरी मसला नहीं है। (गौर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, पूरी पिक्चर आपके सामने 9 तारीख को आयेगी। प्लीज, अब आप बैठें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, यह ज्यादा जरूरी मसला है इसलिए इस पर फौरी तौर पर चर्चा की जाये। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 8th March, 2010.

***15.30 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 A.M. on Monday, the 8th March, 2010.)